



# जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर



समांक-16/96

श्री अमृतालाल पुत्र श्री छगनराज  
गुण्डर सं. 407-बी-1, एटी रोड  
सरदारपुरा, जोधपुर।

दिनांक-29/12/2024  
I.B.T(B) 67/2020-21

## --: भवन निर्माण आदेश --:

विषय :- आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।  
प्रस्ताव :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2020।

उपरोक्त विषयवस्तुगत एवं प्रसंगिक गठित भवन निर्माण अनुज्ञा समिति की बैठक दिनांक 12.10.2020 में प्रस्ताव संख्या 11 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	मूल कवर्ड पर
कुल क्षेत्रफल	पार्किंग+2+3(आवृत्त)
	312.50
	वर्ग मज

1. बालकॉनी व छप्पे का निर्माण नहीं करेगा।
2. पड़ोसी की बिल्डिंग लाईन को पथावत रखेगा।
3. मानचित्र एवं प्लेट में यदि खुली दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेगा।
4. खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेगा।
5. स्वामित्व के संघर्ष में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
6. वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. भविष्य में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेगा।
8. भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुखा व्यवस्था करनी होगी।
9. दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृती शून्य मानी जायेगी।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।

11. निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण साक्ष्यानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत सर्वे को अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सड़क पर नहीं डाला जावेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल नू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के परभाव पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।

13. भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के मूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्यों में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

14. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्णित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेगा।

15. मूलतः के आगे की तरफ 15' खुली जगह एवं शेष भाग पर कवर्ड पार्किंग है।  
यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 1,000/- जांच शुल्क- 2,613/- कुल राशि- 3,613/- जरिये रसीद संख्या 9069/2411 दिनांक 21.08.2020. भवन निर्माण शुल्क- 25,986/- बीएस.यू.पी. शुल्क- 5,199/- टिकिस एवं साधारण शुल्क- 12,500/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 7,799/- मलबा शुल्क- 1,000/- उपकर- 64,089/- कुल राशि- 1,16,593/- जरिये रसीद संख्या 9069/3424 दिनांक 27.11.2020 मुद्रा व अमानत राशि- 3,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/3425 दिनांक 27.11.2020, यू.डी. कर- 21,614/- जरिये रसीद संख्या 9069/3426 दिनांक 27.11.2020 एवं गृह कर- 4,666/- जरिये रसीद संख्या 9069/3427 दिनांक 27.11.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपको गार्डशिट किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपके बिल्डिंग राजस्वगत गारंटीका अधिवित्त 2009 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी। भवन निर्माण के परभाव मलबा सड़क पर पाया गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (असरे दस हजार रुपये) चुन किये जायेंगे।

*Sansad*  
*Kanwar*  
05976-51110  
0113-4766

*Asst*  
उपायुक्त  
नगर निगम जोधपुर, दक्षिण